

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 963/2024

अनवान : -

1. जसवन्त पुत्र मनीराम जाति कुम्हार साकिन रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
2. मनीराम पुत्र श्योराम जाति कुम्हार साकिन रामगढ़ तहसील नोहर
3. लीलाधर पुत्र फुलाराम जाति कुम्हार साकिन रामगढ़ तहसील नोहर ।

- वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. उप तहसीलदार राजस्व रामगढ़ तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0

अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री कुलदीप सिंह खुडिया अधिवक्ता वादी  
परोकार राज

निर्णय

दिनांक: 25/09/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 324/312 के प.न. 373/448 मु.न. 65 के किला नं. 5/1 की 0.2280 हैक्टर, 5/2 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 6/1 की 0.2280 हैक्टर, 6/2 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 15/1 की 0.2280 हैक्टर, 15/2 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 16/1 की 0.2280 हैक्टर, 16/2 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 25/1 की 0.2280 हैक्टर, 25/2 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. रास्ता, एवं प.न. 374/448 मु.न. 64 के किला नं. 1, 8 ता 13 व 18 ता 20 की की 2.7830 हैक्टर भूमि कुल 21 किता की 4.0480 हैक्टर भूमि स्थित है जिसके वादीगण मुश्तरका खातेदार काश्तकार है

रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 19/20 की कुल तादादी 11.6380 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें प.न. 373/452 मु.न. 145 के किला नं. 6/1 की 0.2280 हैक्टर, 6/2 की 0.0250 हैक्टर गै. मु. रास्ता, 15/1 की 0.2280 हैक्टर, 15/2 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 16/1 की 0.2280 हैक्टर, 16/2 की 0.0250 हैक्टर गै. मु. रास्ता, 25/1 की 0.2280 हैक्टर, 25/2 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. रास्ता की दर्ज जो अन्य खातेदारो के नाम भूमि दर्ज है एवं रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 199/201 की कुल 11.6380 हैक्टर भूमि के प.न. 373/451 मु.न. 108 के किला नं. 5/1 की 0.2280 हैक्टर, 5/2 की 0.0250 हैक्टर गै. रास्ता, 6/1 की 0.2280 हैक्टर, 6/2 की 0.0250 हैक्टर गै. रास्ता, 15/1 की 0.2280 हैक्टर, 15/2 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 16/1 की 0.2280 हैक्टर, 16/2 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 25/1 की 0.2280 हैक्टर, 25/2 की 0.0250 हैक्टर गै. मु. रास्ता की दर्ज है जो कि दक्षिण से उतरी की और चलता है। इसी प्रकार से यह कि रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 200/21 की कुल तादादी 6.5780 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें प.न. 373/450 मु.न. 105 के किला नं. 16/1 की 0.2280 हैक्टर, 16/2 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 25/1 की 0.2280 हैक्टर, 25/2 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. रास्ता की दर्ज जो अन्य खातेदारो के नाम भूमि दर्ज है एवं रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

खाता सं. 199/201 की कुल तादादी 11.6380 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें प.न. 373/452 मु. न. 145 के किला नं. 5 में गै.मु. रास्ता की भूमि दर्ज नहीं है। जो अन्य खातेदारों के नाम भूमि दर्ज है एवं रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 574/544 की कुल तादादी 11.8910 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें प.न. 373/450 मु.न. 105 के किला नं. 5/1 की 0.2280 हैक्टर, 5/2 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. रास्ता, किला नं. 6/1 की 0.2280 हैक्टर, 6/2 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 15/1 की 0.2280 हैक्टर, 15/2 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. रास्ता, की भूमि दर्ज जो अन्य खातेदारों के नाम भूमि दर्ज है एवं रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 303/293 की कुल तादादी 2.7830 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें प.न. 373/449 मु.न. 68 के किला नं. 6/1 की 0.2280 हैक्टर, 6/2 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 15/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 15/2 की 0.2280 हैक्टर, 16/1 की 0.0250 हैक्टर है। मु. रास्ता, 16/2 की 0.2280 हैक्टर, 25/1 की 0.0250 हैक्टर गै. मु. रास्ता, 25/2 की 0.2280 हैक्टर, की भूमि दर्ज जो अन्य खातेदारों के नाम भूमि दर्ज है।

रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 363/345 की कुल तादादी 0.2530 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें प.न. 373/449 मु.न. 68 के किला नं. 5 की 0.2530 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें गै.मु. रास्ता दर्ज नहीं है। जो अन्य खातेदारों के नाम भूमि दर्ज है। रोही मौजा चक 11 बारानी के प.न. 373/452 मु.न. 145 के उपर से पूर्व से पश्चिम पक्की सड़क उज्जलवास गांव से चक 11 बारानी से 1 आर.एम.जी. से होते हुए दीपलाना से सिधी गुरजती है रोही मौजा चक 11 बारानी के प.न. 373/452 मु.न. 145 के किला नं. 25,16,15,6,5 दक्षिण से उत्तर की ओर रास्ता चालु है, प.न. 373/451 मु.न. 108 के किला नं. 5,6,15,16, 25 में रास्ता दर्ज है एवं प.न. 373/450 मु.न. 105 के किला नं. 25,16,15,6,5 से रास्ता दक्षिण से उत्तर की तरफ जाता है, एवं प.न. 373/449 मु.न. 68 के किला नं. 25,16,15,6,5 में रास्ता दक्षिण से उत्तर की तरफ चलता है। जबकि प.न. 373/452 मु.न. 145 के किला नं. 5 में चालु जमाबन्दी में रास्ता दर्ज नहीं है जबकि पर्चा खतौनी में प.न. 373/452 मु.न. 145 की जगह 144 दर्ज है तथा किला नं. 5 में रास्ता दर्ज है इसलिए चालु जमाबन्दी में किला नं. 5 में रास्ता दर्ज किया जावे तथा पर्चा खतौनी में मु.न. 144 की जगह मु.न. 145 दर्ज किया जावे तथा प.न. 373/449 मु.न. 68 के किला नं. 5 में चालु जमाबन्दी में रास्ता दर्ज नहीं है जबकि सैटलेमन्ट विभाग की जमाबन्दी में किला नं. 5 में रास्ता दर्ज है जबकि चालु जमाबन्दी में प.न. 373/449 मु.न. 68 के किला नं. 5 में चालु जमाबन्दी रास्ता दर्ज करवा पाने के अधिकारी है यही बिनाय दावा है।

रोही मौजा चक 11 बारानी के प.न. 373/452 मु. न. 145 के उपर से पूर्व से पश्चिम पक्की सड़क उज्जलवास गांव से चक 11 बारानी से 1 आर.एम.जी. से होते हुए दीपलाना से सिधी गुरजती है रोही मौजा चक 11 बारानी के प.न. 373/452 मु.न. 145 के किला नं. 25,16,15,6,5 दक्षिण से उत्तर की ओर रास्ता चालु है, प.न. 373/451 मु.न. 108 के किला नं. 5,6,15,16, 25 में रास्ता दर्ज है एवं प.न. 373/450 मु.न. 105 के किला नं. 25,16,15,6,5 से रास्ता दक्षिण से उत्तर की तरफ जाता है, एवं प.न. 373/449 मु.न. 68 के किला नं. 25,16,15,6,5 में रास्ता दक्षिण से उत्तर की तरफ चलता है। जबकि प.न. 373/452 मु.न. 145 के किला नं. 5 में चालु जमाबन्दी में रास्ता दर्ज नहीं है जबकि पर्चा खतौनी में प.न. 373/452 मु.न. 145 की जगह 144 दर्ज है तथा किला नं. 5 में रास्ता दर्ज है इसलिए चालु जमाबन्दी में किला नं. 5 में रास्ता दर्ज किया जावे तथा पर्चा खतौनी में मु.न. 144 की जगह मु.न. 145 दर्ज किया जावे तथा प.न. 373/449 मु.न. 68 के किला नं. 5 में चालु जमाबन्दी में रास्ता दर्ज नहीं है जबकि सैटलेमन्ट विभाग की जमाबन्दी में किला नं. 5 में रास्ता दर्ज है जबकि चालु जमाबन्दी में प.न. 373/449 मु.न. 68 के किला नं. 5 में चालु जमाबन्दी रास्ता दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 पेशकार राज द्वारा जवाब पेश किया गया जो की शामिल मिसल किया गया।

*Lahul*  
उपजम्ह अधिकारी  
नोहर

वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदीया पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण व अन्य खातेदारन के नाम दर्ज है। वादी द्वारा निवेदन किया गया है कि रोही मौजा चक 11 बारानी के प.न. 373/452 मु. न. 145 के उपर से पूर्व से पश्चिम पक्की सड़क उज्जलवास गांव से चक 11 बारानी से 1 आर.एम.जी. से होते हुए दीपलाना से सिधी गुरजती है रोही मौजा चक 11 बारानी के प.न. 373/452 मु.न. 145 के किला नं. 25,16,15,6,5 दक्षिण से उत्तर की और रास्ता चालु है, प.न. 373/451 मु.न. 108 के किला नं. 5,6,15,16, 25 में रास्ता दर्ज है एवं प.न. 373/450 मु.न. 105 के किला नं. 25,16,15,6,,5 से रास्ता दक्षिण से उत्तर की तरफ जाता है, एवं प.न. 373/449 मु.न. 68 के किला नं. 25,16,15,6,5 में रास्ता दक्षिण से उत्तर कि तरफ चलता है। जबकि प.न. 373/452 मु.न. 145 के किला नं. 5 में चालु जमाबन्दी मे रास्ता दर्ज नहीं है जबकि पर्चा खतौनी में प.न. 373/452 मु.न. 145 की जगह 144 दर्ज है तथा किला नं. 5 में रास्ता दर्ज है इसलिए चालु जमाबन्दी में किला नं. 5 में रास्ता दर्ज किया जावे तथा पर्चा खतौनी में मु.न. 144 की जगह मु.न. 145 दर्ज किया जावे तथा प.न. 373/449 मु.न. 68 के किला नं. 5 में चालु जमाबन्दी में रास्ता दर्ज नहीं है जबकि सैटलेमन्ट विभाग की जमाबन्दी में किला नं. 5 में रास्ता दर्ज है जबकि चालु जमाबन्दी में प.न. 373/449 मु.न. 68 के किला नं. 5 में चालु जमाबन्दी रास्ता दर्ज नहीं है इसलिए रास्ता दर्ज किया जावे लेकिन वादी द्वारा जमाबंदी में दर्ज खातेदारान/काश्तकारान को पक्षकार नहीं बनाया है एवं प्रकरण किसी भी प्रकार की घोषणा का नहीं है केवल रिकॉर्ड संशोधन का है एव न ही ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश किया है जिससे वादीगण को किसी प्रकार का अनुतोष प्रकदान किया जा सके। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नहीं होने के कारण खारिज योग्य हैं।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 25/09/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

*Rahul*  
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या -963/2024

अनवान : -

1. जसवन्त पुत्र मनीराम जाति कुम्हार साकिन रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
2. मनीराम पुत्र श्योराम जाति कुम्हार साकिन रामगढ़ तहसील नोहर
3. लीलाधर पुत्र फुलाराम जाति कुम्हार साकिन रामगढ़ तहसील नोहर ।

- वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. उप तहसीलदार राजस्व रामगढ़ तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 963 सन 2024 निर्णय दिनांक

25/09/25

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री कुलदीप सिंह खुडिया एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/09/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Lahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर